NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

विवाह, परिवार एवं नातेदारी

(Marriage, Family and Kinship)

B.S.O.E.-146

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Harmeet Kaur*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

विवाह, परिवार एवं नातेदारी
(Marriage, Family and Kinship)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1

Question Paper—December-2023 (Solved) 1

Question Paper—June-2023 (Solved) 1

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper Exam Held in July 2022 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

मूल अवधारणा का परिचय
(Introduction: Basic Concepts)

1. विवाह 1
   (Marriage)

2. परिवार 18
   (Family)

3. नातेदारी या रिश्तेदारी 33
   (Kainship)

नातेदारी का अध्ययन
(Studying Kinship)

4. वंशानुक्रम दृष्टिकोण 49
   (Descent Approach)

5. गठबंधन (संबंध) 63
   (Alliance Approach)

6. कल्पित या कृत्रिम नातेदारी 76
   (Fictive Kinship)

परिवार, गृहस्थी एवं विवाह
(Family, Household and Marriage)

7. संरचना और परिवर्तन : कारक और गतिशीलता 87
(Structure and Change: Factors and Dynamics)

8. परिवार की पुनर्कल्पना 99
(Reimaging Families)

विवाह, परिवार एवं नातेदारी के समकालीन मुद्दे
(Contempory Issues in Marriage, Family and Kinship)

9. विवाह में विकल्प और नियमन 111
(Choice and Regulation in Marriage)

10. परिवार में शक्तियाँ और भेदभाव 122
(Power and Discrimination in Family)

11. नवीन प्रजनन तकनीकें 131
(New Reproductive Technologies)

12. विवाह और पलायन 140
(Marriage and Migration)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

विवाह, परिवार और नातेदारी

(Marriage, Family and Kinship)

B.S.O.E. 146

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

प्रश्न 1. विश्व में प्रचलित विवाह के बुनियादी नियमों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'विवाह नियम'

प्रश्न 2. परिवार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-23, प्रश्न 3

प्रश्न 3. नातेदारी के प्रकारों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-43, प्रश्न 4

प्रश्न 4. नातेदारी के वंशीय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-49, 'नातेदारी अध्ययन में वंशानुक्रम'

प्रश्न 5. काल्पनिक बंधनों के निर्माण के कारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-76, 'कल्पित संबंधों के प्रमुख कारक', पृष्ठ-80, प्रश्न 3

प्रश्न 6. क्या संयुक्त-एकल परिवार सातत्य अस्तित्व में है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-7, पृष्ठ-87, 'परिचय', पृष्ठ-89, 'संयुक्त-एकल परिवार सातत्य सिद्धांत'

प्रश्न 7. तलाक की प्रकृति एवं वैधीकरण का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-9, पृष्ठ-111, 'तलाक', पृष्ठ-117, प्रश्न 1

प्रश्न 8. महिलाओं पर होने वाली हिंसा की प्रकृति की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-124, 'महिलाओं से हिंसा', पृष्ठ-128, प्रश्न 2 ■■

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

विवाह, परिवार और नातेदारी

(Marriage, Family and Kinship)

B.S.O.E. 146

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

प्रश्न 1. विवाह क्या है? विवाह पर कैथलीन कफ के परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-8, प्रश्न 1, पृष्ठ-1, 'कैथलीन गॉफ : नायर विवाह'

प्रश्न 2. 'उत्तर-आधुनिक परिवार' से आपका क्या अभिप्राय है? इसके स्वरूपों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-24, प्रश्न 5

प्रश्न 3. उत्तर भारत की वर्णनात्मक नातेदारी व्यवस्था की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-33, 'परिचय', पृष्ठ-35, 'वर्णनात्मक', पृष्ठ-38, प्रश्न 4

प्रश्न 4. लेवी स्ट्रास के 'विवाह विनिमय की प्रारंभिक संरचना' की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-66, प्रश्न 1

प्रश्न 5. 'शुद्ध' तथा 'काल्पनिक' नातेदारी स्वरूपों के बीच के अंतरों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-79, प्रश्न 1 तथा प्रश्न 2

प्रश्न 6. परिवार के नारीवादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-99, 'परिचय', पृष्ठ-100, 'नारीवादी परिप्रेक्ष्य : सत्ता और भेदभाव'

प्रश्न 7. केरल के नायरों में विवाह की प्रकृति का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-5, प्रश्न 2

प्रश्न 8. नातेदारी अध्ययन में एन.आर.टी. क्या है? परिवार और नातेदारी पर इसके नकारात्मक प्रभाव की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-133, प्रश्न 1, 'परिवार तथा नातेदारी पर नवीन प्रजनन प्रौद्योगिकी (एनआरटी) के नकारात्मक प्रभाव'

■■

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

विवाह, परिवार एवं नातेदारी
(Marriage, Family and Kinship)

विवाह
(Marriage)

1

परिचय

सामाजिक रूप से मान्य संबंध को विवाह रूपी सामाजिक संस्था माना गया है। इन संबंधों में विवाह को तीन प्रकार से परिभाषित किया गया है; जैसे प्रजनन के लिए महिला और पुरुष का विवाह संबंध, इन संबंधों से उत्पन्न बच्चे की वैधता हेतु तथा कुछ नियम कानूनी अधिकारों के अधिग्रहण। विभिन्न विद्वानों द्वारा विवाह संबंध को परिभाषित किया गया है, जैसे–लोवी, मैलिनोवस्की, लंबर्ग, हार्टन और हंट तथा एडरसन और पार्कर। सभी द्वारा विवाह को सामाजिक अनुमति प्राप्त स्थायी बंधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके तहत एक परिवार की स्थापना की जाती है। इसमें महिला और पुरुष परस्पर अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों, दायित्वों और विशेषाधिकारों को एक-दूसरे से बाँटते हैं। विवाह सामाजिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण भाग है। यह समाज को संपन्न करता है। महिला और पुरुष के संबंधों का यह अधिकार जन्म लेने वाले बच्चे को वैधता प्रदान करता है, जो कि वंशक्रम और उत्तराधिकार के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है।

अध्याय का विहंगावलोकन

विवाह संबंधी विभिन्न सिद्धांत

विद्वानों द्वारा विवाह संबंधी विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं।

एडमंड लीच : विवाह अधिकार

एडमंड लीच के अनुसार विवाह संस्था में दस प्रमुख अधिकार होते हैं, जो कि दंपत्ति में दोनों या किसी एक को वितरित होते हैं। लीच के अनुसार, विवाह एक महिला और एक पुरुष के बीच संबंधों की स्थापना का संबंध है, जो इन संबंधों से उपजी संतान के वैध या अवैध के बारे में बताता है। उसे सभी अधिकार जन्म से ही प्राप्त होंगे; जैसे कि अन्य सदस्यों को प्राप्त होते हैं। ये अधिकार हैं–

(i) महिला की संतान के लिए वैध पिता निर्धारित करना।
(ii) पुरुष की संतान हेतु वैध माता निर्धारित करना।
(iii) पत्नी के यौन संबंधों में पति को एकाधिकार देना।
(iv) पति के यौन संबंधों में पत्नी को एकाधिकार देना।
(v) पत्नी की प्रत्येक जरूरत पूरी करने के लिए पति को एकाधिकार देना।
(vi) पत्नी को पति की श्रम सेवाओं पर एकाधिकार देना।
(vii) पत्नी से संबंधित कमी पर पति को पूर्ण अधिकार देना।
(viii) पति से संबंधित कमी पर पत्नी को पूर्ण अधिकार देना।
(ix) उत्पन्न हुए बच्चे के पालन-पोषण की साझेदारी बनाना।
(x) पति और पत्नी के भाईयों के बीच आत्मीयता का संबंध बनाना।

कैथलीन गॉफ : नायर विवाह

कैथलीन गॉफ द्वारा विवाह की तीन परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट किया गया है कि महिला और पुरुष के संबंध, प्रजनन और संतान की वैधता हमेशा उपस्थित हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। गॉफ तर्क देती हैं कि नायर समाज, जो कि दक्षिण भारत में है, विवाह संतान की वैधता के उद्देश्य से नहीं किए जाते। अफ्रीका के सूडान में नूएर समाज में पुरुष किसी अविवाहित माँ के बच्चे को उससे विवाह किए बिना ही नाम दे सकता है, जो कि विवाह और वैधता के संबंधों की जरूरत को भंग करता है।

नायर समाज में बच्चा जन्म लेने के बाद मातृवंश में प्रवेश करता है, क्योंकि यहां कि सामाजिक व्यवस्था मातृवंशीय है। नायर

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

वंश में लड़कियों को यौवनारंभ के पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता था। हालांकि विवाह के बाद पति-पत्नी का साथ रहना अनिवार्य नहीं था। ताली परंपरा में पत्नी मात्र पति के निधन के समय शोक सभा में उपस्थित रहती थी। यदि नायर लड़कियाँ अन्य पुरुषों से मिलती थीं, तो यह 'संबंधम पति' परंपरा कहलाती थी। नायर पुरुष पेशेवर योद्धा होने के कारण लंबा समय बाहर व्यतीत करते थे और गाँव लौटने पर उसे ताली परंपरा पूर्ण कर चुकी किसी भी महिला से संबंध बनाने की अनुमति थी। शर्त यह थी कि महिला पुरुष से निम्न समाज की हो। संबंधम पति परंपरा के अनुसार सम या पति को असीमित संबंधम पत्नी और महिलाओं को 12 तक संबंधम पति रखने की अनुमति थी। गॉफ द्वारा नायर सामाजिक व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण नियम और परंपरा के बिंदुओं को व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं–

(i) यह परंपरा खुले यौन संबंध, परंतु जातिगत सदस्यता के मध्य संबंध बनाने और मानकों के पालन द्वारा नैतिकता को दर्शाती है।

(ii) यह परंपरा जाति के अंदर सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करती है।

(iii) यह परंपरा दीर्घकालिक मातृवंशात्मक अनुबंध को बनाती है।

(iv) यह परंपरा जन्मे बच्चों की वैधता और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है।

पैट्रीशिया यूब्रॉय : विवाह अनुबंध और धर्मविधि

पैट्रीशिया यूब्रॉय द्वारा विवाह अनुबंध और धर्मविधि को नियमों, वैधताओं और परंपराओं के दृष्टिकोण से स्पष्ट किया गया है। उनके अनुसार विवाह को एक सामाजिक संस्था के तहत बनाए रखना अनिवार्य है। हालांकि विवाह धर्मविधि और अनुबंध के तौर पर बदल रहा है, क्योंकि विवाह की सामाजिक और पारंपरिक स्थिति में गिरावट आ रही है।

पैट्रीशिया यूब्रॉय द्वारा 1984 के रखमाबाई राऊत मामले के तहत धर्मविधि और अनुबंध के संघर्ष को दर्शाया गया है। उन्हें एक शिक्षित महिला होते हुए भी मात्र 11 वर्ष की आयु में बड़ी आयु के व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। बाद में रखमाबाई ने तलाक भी दिया। उनके पति दादाजी द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई, परंतु न्यायाधीश पिन्हे द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दी गई और विवाह पूर्ण नहीं माना गया। विपक्ष इसे स्थायी विवाह मानती थी, क्योंकि विवाह एक दैवीय और पवित्र संबंध माना जाता है, परंतु अनुबंध की स्थिति इसे खत्म कर सकती है।

विवाह नियम

विभिन्न पहलुओं के आधार पर प्रत्येक समाज के विवाह के नियम निर्धारित किए जाते हैं; जैसे कि किससे विवाह करना है या नहीं, कितनी पत्नियाँ या पति हो सकते हैं और विवाह संबंध किस समूह में स्थापित किए जा सकते हैं। इसके निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार हैं–

विवाह भागीदारों का बहिष्करण अथवा समावेश–विवाह भागीदारों का बहिष्करण करना है या नहीं, इसके संबंध में दो नियम हैं–

1. **प्रतिबंधात्मक नियम**–कौटुंबिक संबंध विशेष एवं सगोत्रीय विवाह।
2. **अनुशंसा नियम**–सगोत्रीय विवाह।
3. **वैवाहिक भागीदारों को संख्या**–एक विवाह की अनुमति एकपत्नीत्व या एक पतित्व कहलाती है और अधिक विवाह करने की अनुमति बहुपत्नीत्व तथा बहुपतित्व कहलाती है।

युवतियों के विवाह के लिए समूह की प्रतिष्ठा–उच्चतर समूह, निम्नस्तर समूह या समान समूह आदि।

कौटुंबिक संबंध निषेध

कौटुंबिक संबंध का निषेध विवाह में बहिष्करण संबंधी मूल और सार्वभौमिक नियम हैं। इस प्रकार की प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाएँ की जाती हैं; जैसे–

(i) एक ही वंश, समूह, कुंटुब-परिवार यानी पीढ़ी से संबंधित होने के कारण चचेरे भाई-बहनों में विवाह और यौन संबंध प्रतिबंधित है।

(ii) विपरीत समूहों, परिवार के आने के कारण ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के विवाह संबंध प्रतिबंधित नहीं किये गये।

कौटुंबिक संबंध निषेध को कई सिद्धांत स्पष्ट करते हैं; जैसे कि प्राकृतिक भय का सिद्धांत कहता है कि मानव जाति आनुवंशिक रूप से कौटुंबिक संबंधों के लिए नहीं बनी, इसलिए औपचारिक रूप से निषेध की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती।

जैविक अवनति का तर्क है कि कौटुंबिक निषेध की व्यवस्था, कौटुंबिक विवाहों से असामान्य संतानों का जन्म होने पर यह स्थिति पैदा हुई। विभिन्न समाजों में भाई-बहन के विवाह के परिणामस्वरूप प्रजनन क्षमता और अस्तित्व में गिरावट देखी गयी, परंतु फिर भी जैविक विवाह की स्थिति ममेरे-फुफेरे भाई बहनों की अपेक्षा चचेरे भाई बहनों पर लागू होती है।

मैलिनोवस्की और फ्रॉयड के अनुसार, कौटुंबिक विवाह की व्यवस्था का उदय यौन इच्छाओं को अपने परिवार और पारिवारिक सदस्यों से अलग रखने का प्रयास है। कौटुंबिक विवाह की व्यवस्था गोत्रांतर विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी की जा सकती है, क्योंकि ऐसे समूह सामाजिक दायरे को व्यापक करने की ओर प्रेरित करते हैं। सांस्कृतिक संरचना के उदय के लिए भी यह व्यवस्था लाभदायक हो सकती है। यह किसी समूह की आनुवंशिक विविधता को प्रोत्साहित करती है।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

सगोत्रीय विवाह एवं गोत्रांतर विवाह

सगोत्रीय विवाह एक ही सामाजिक और सजातीय समूह के सदस्यों को परस्पर विवाह की अनुमति देता है, जबकि गोत्रांतर विवाह सामाजिक समूह के अंदर ही विवाह करने से प्रतिबंधित करता है। यह विवाह सुनिश्चित करता है कि विवाह संबंध दूसरे गाँव या शहर में होंगे।

एक विवाह परंपरा एवं बहुविवाह परंपरा

एक विवाह परंपरा के तहत विवाह में भागीदार एक ही पति और एक ही पत्नी होती है। इसमें पुरुष और महिला उत्तराधिकार की शृंखला में भागीदार के साथ रहते हैं।

बहुविवाह परंपरा के तहत विवाह की परंपरा प्रचलित थी; जैसे–कृषि समाजों में, हिंसा, युद्ध की स्थितियों में, पुरुषों के लिए उच्च स्थिति दर्शाने के लिए। यूरोप में इस परंपरा को वैध और अमेरिका में अवैध माना जाता है। बहुपतित्व विवाह की परंपरा मात्र इस कारण प्रचलित थी कि महिलाओं का जीवन काल पुरुषों से अधिक होता है। महिला शिशु मृत्युदर कम होती है और आर्थिक सुरक्षा हेतु संपत्ति का बंटवारा न हो, इसलिए भी बहुपतित्व परंपरा प्रचलित रही।

विवाह एवं आवास नियम

विवाह के बाद आवास नियम निर्देशित करता है कि दपत्ति कहां रहेंगे, इसलिए मूलभूत नियमों और घरेलू रीतियों को स्पष्ट किया गया है। विश्व की विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं–

1. पितृस्थानिक आवास, 2. मातृस्थानिक आवास, 3. पतिस्थानिक आवास, 4. पत्नीस्थानिक आवास, 5. मातुलस्थानिक आवास, 6. नवस्थानिक आवास तथा 7. उभयस्थानिक आवास।

विवाह प्रतिष्ठान : आर्थिक लेनदेन

विवाह प्रतिष्ठान के तहत आर्थिक लेनदेन किया जाता है, जो कि आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को पूर्ण करने का स्रोत है। विवाहों में रीतियों और परंपराओं के अनुसार वर-वधू दोनों की ओर से तोहफे और आर्थिक लेन-देन होता है; जैसे–दहेज, वधू मूल्य और वधू सेवा।

दहेज

दहेज के रूप में आर्थिक लेनदेन के तहत वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को संपत्ति की प्रतीक वस्तुओं को दिया जाता है। ये सभी वस्तुएँ वधू, वर और वर का परिवार प्रयोग करता है। भारत में दहेज प्रथा काफी गंभीर रूप ले चुकी है। यह सामाजिक समस्या के रूप में उभरी है, क्योंकि कई स्थितियों में ये वधू पक्ष पर दवाब बनाती है। यह महिलाओं की हिंसा से संबंधित समस्या है।

वधू मूल्य

वधू मूल्य वह भुगतान होता है, जो वर पक्ष की ओर से किया जाता है, यानी बेटी के विवाह के बाद परिवार को श्रम से होने वाले नुकसान को पूरा वर पक्ष द्वारा किया जाता है। यह स्थिति निगमित उद्यम की तरह होती है, यह मूल्यवान वस्तुओं पर नियंत्रण पुरुषों की बुजुर्ग पीढ़ी का रहता है। इस महिला और उसकी भावी संतानों के श्रम, बेटी के पालन-पोषण में परिवार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के मूल्यांकन के तौर पर देखा जाता है। इस प्रकार के विवाह वाले समाजों में महिला के श्रम का मूल्यांकन होने के बाद भी उनकी स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कम रहती है। वधू मूल्य का भुगतान किस्तों में उस समय किया जाता है, जब दंपत्ति तलाक ले या उनकी कोई संतान न हो।

वधू सेवा

वधू सेवा वह सेवा है, जो पति द्वारा पत्नी के परिवार के साथ रहते हुए निश्चित अवधि में उनके कार्यों में सेवा करता है। यह प्रथा कृषि आधारित समाजों में प्रचलित थी; जैसे कि यनोमामा समाज में।

गतिविधियाँ

प्रश्न 1. क्या आप किसी ऐसी विवाह प्रथा के बारे में जानते हैं, जिसमें विवाह ऊपर बतायी गई विभिन्न विवाह प्रक्रियाओं से इतर कार्य करता है? इस पर संक्षिप्त लेखन के साथ अध्ययन केंद्र में चर्चा भी कीजिए।

उत्तर–मेघालय की एक जनजाति खासी है। जहां विवाह की प्रथा काफी अलग है। खासी समाज में उनके परिवार मातृमूलक परिवार होते हैं। यहां विवाह के बाद पति ससुराल में रहता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार विवाह के बाद पुरुष की आमदनी पर पत्नी परिवार का अधिकार रहता है। हालांकि विवाह से पहले वे अपनी आय अपने मातृपरिवार में देते हैं। यहां पर वंशावली महिला से चलती है और पूरी संपत्ति की स्वामिनी वही रहती है। संयुक्त परिवार की संरक्षिका कनिष्ठ पुत्री होती है। इस समुदाय में प्राचीन समय में पुरुष युद्ध के लिए लंबे समय तक घरों से दूर रहते थे। ऐसे में परिवार और समाज की देखरेख का उत्तरदायित्व महिलाओं का रहता था। महिला प्रधान व्यवस्था उसी समय से चली आ रही है। खासी समुदाय में महिलाएँ बहुविवाह करती थीं, इसलिए बच्चे का सरनाम उसे जन्म देने वाली माता के नाम पर ही रखा जाता था। यह माना गया है कि खासी लोगों द्वारा ईश्वर की कल्पना करते हुए काली और महादेव जैसे हिंदू देवी-देवताओं को अपना लिया है। हालांकि खासी लोगों की अन्य चार शाखाएँ खासी, सिंलेम, वार और लिंग्गय हैं। इन चारों शाखाओं के बीच विवाह संबंध होता है। केवल अपने कुल या कबीले में विवाह संबंध निषिद्ध होता है। कहने का अर्थ है कि यहां बहिर्विवाह प्रथा भी मौजूद थी।

यहां प्रत्येक कबीले में राजवंश, पुरोहित, मंत्री और जन सामान्य चार श्रेणियाँ होती हैं। कबीले की सर्वोच्च शासक स्त्री ही होती है। वह अपने पुत्र या भांजे को मुख्यमंत्री बनाकर उसके द्वारा शासन करती है। यहां की परंपरागत बैठक में महिलाओं की

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

अपेक्षा मात्र पुरुष सदस्य होते हैं, जो कि समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते और जरूरी निर्णय भी लेते हैं। इस समुदाय में प्राचीन समय से ही बेटियों को घर में ऊँचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यह जनजाति या समुदाय पूरी तरह से लड़कियों के लिए समर्पित है। जहां पर लड़की के जन्म पर जश्न होता है, जबकि लड़के के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती है। खासी समुदाय में कुछ ऐसी परंपराएँ हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहां पर विवाह के बाद लड़की की अपेक्षा लड़के की विदाई की जाती है। लड़के अपना घर छोड़कर घर जमाई बनकर रहते हैं। यहां पर लड़कियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है, क्योंकि यहां धन और दौलत की उत्तराधिकारी लड़कियाँ होती हैं। महिलाएँ कई पुरुषों से विवाह कर सकती हैं। हालांकि पुरुषों द्वारा इस प्रथा में बदलाव लाने की माँग भी की है कि वे महिलाओं को नीचा नहीं दिखाना चाहते, बल्कि बराबरी के हकों की माँग कर रहे हैं। इस समुदाय में परिवार के सभी फैसले महिलाएँ लेती हैं। यहां बाजार और दुकानों पर महिलाएँ ही कार्य करती हैं। बच्चों का उपनाम भी माँ के नाम पर ही होता है। खासी समुदाय में सबसे छोटी बेटी को विरासत का सबसे ज्यादा भाग मिलता है। उसी को माता-पिता, भाई-बहन और संपत्ति की देखभाल करनी पड़ती है। छोटी बेटी को मातृसत्तात्मक परंपरा कहा जाता है। इस प्रकार खासी जनजाति मातृसत्तात्मक परंपरा पर आधारित है। मातृसत्तात्मक परिवार, लड़के का विवाह के बाद ससुराल जाना, विवाह अपने कुल में वर्जित, लड़की होने पर खुशियाँ मनाना और अन्य खासी जनजाति की विशेषताएँ हैं।

प्रश्न 2. इन दिनों बेहद खर्चीले विवाह समारोहों का आयोजन परंपरा बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह भी दहेज का एक तरीका बन गया है? आप क्या समझते हैं, इस पर अध्ययन केंद्र में चर्चा करें?

उत्तर—वर्तमान समय में बेहद खर्चीले विवाह समारोहों का आयोजन परंपरा बनता जा रहा है। हालांकि विभिन्न संस्कृतियों में विवाह के समय तोहफों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। ये तोहफे और लेन-देन लगभग माता-पिता अपनी खुशी से करते हैं, परंतु कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं, जहां यह आर्थिक लेन-देन का रूप दहेज ही माना जाता है। विशेषकर तब, जब दहेज यानी तोहफे या खर्चीले विवाह वर पक्ष की माँग के अनुसार किए गए हैं। प्रत्येक को अपने बच्चों के विवाहों का इतना शौक होता है कि माता-पिता अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी लड़की को दहेज देने का प्रयास करते हैं और उसकी शादी पर ज्यादा-से-ज्यादा खर्चा करते हैं। कई माता-पिता दान-दहेज के चक्र में पूरी उम्र के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। अधिकतर विवाहों में वर-वधू, परिवारों, दोस्तों-परिचितों को तोहफे दिये जाते हैं। दहेज के तहत लड़की को संपत्ति प्रतीक वस्तुएँ दी जाती हैं; जैसे कि गहने, वस्त्र और फर्नीचर कभी-कभी तो दहेज में गाड़ी और मकान तक दिया जाता है। साथ ही विवाह पर खर्च सबसे महत्त्वपूर्ण होता है। विवाह समारोहों का आयोजन, हालांकि हमारी परंपरा का विशेष हिस्सा माना गया है; जैसे विवाह पक्का होने पर विवाह समारोहों का आयोजन करना। कुछ समय पहले ये आयोजन सिर्फ लड़की पक्ष की ओर से ही किए जाते थे, जैसे—रिंग सेरेमनी का आयोजन करना, विवाह समारोह का आयोजन करना, परंतु वर्तमान समय में एक परंपरा यह भी शुरू हुई है कि रिंग सेरेमनी और विवाह समारोह-आयोजन एक ही दिन और एक ही जगह पर कर लिया जाता है, जिसमें खर्चे को वर पक्ष और वधू पक्ष बांट लेते हैं। हालांकि कहीं-कहीं देखा-देखी होड़ में आकर यह समारोह अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं और इन पर बहुत अधिक खर्चा किया जाता है।

विवाह समारोह को भव्यता दिखाने की होड़ लगी रहती है। कई बार तो विवाह अत्यधिक खर्चीला होता है, जहां मीडिया क्रेज भी रहता है। इन विवाहों में दूल्हे के महंगे सूट, शेरवानी और दुल्हन के बेशकीमती लहंगे के लिबास और ब्यूटी पार्लर का खर्च सामान्य लोगों से परे की बात है। शादी मंडप एक फिल्मी सेट प्रतीत होने लगता है। जिसमें शामिल होते हैं, भव्य शामियाना, चकाचौंध करती लाइटिंग, शानदार डेकोरेशन, जानदार आतिशबाजी के बीच राजसी वैभव, कैटरिंग के पंखे से लेकर बर्तन तक सब कुछ भव्यतम यानी ठाठ-बाट वाला। ऐसी शादियों की चकाचौंध और दूसरों की देखादेखी के चलते मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इस प्रकार के खर्चीले समारोहों का आयोजन दहेज का एक तरीका बन गया है, क्योंकि विवाह तय होते ही वर पक्ष की सबसे पहली शर्त खर्चीले विवाह की होती है। उनका कहना होता है कि उनके नातेदारों का और उनका स्वागत ठाठ-बाट से होना चाहिए। फिर मिलनी के समय सबके लिए कोई-न-कोई कपड़ों के साथ तोहफा होना चाहिए। इसलिए वर पक्ष विवाह को किसी बड़े पैलेस में करना चाहते हैं, क्योंकि माता-पिता के लिए उनकी बेटी का सवाल होता है, इसलिए वे उनकी हर जिद को पूरा करते हैं। साथ ही अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूँजी विवाह में लगा देते हैं। इस प्रकार बेहद खर्चीले विवाह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दहेज का एक तरीका माने गए हैं।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. एडमंड लीच के अनुसार विवाह कुछ अधिकारों के संपादन की व्यवस्था है। ऐसे किन्हीं तीन अधिकारों के बारे में बताएँ।

उत्तर—एडमंड लीच द्वारा विवाह को अधिकारों के समूह के रूप में स्पष्ट किया गया है। यह अधिकांश दंपत्ति में पति अथवा पत्नी या दोनों को आवंटित किए जाते हैं, हालांकि कुछ मामलों में विवाह पति और पत्नी के भाईयों के बीच भी अधिकारों के आवंटन

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com